साम्प्रदायिक दंगों के कारणों के बारे में भारत सरकार द्वारा यद्यपि ऐसी कोई जांच नहीं कराई गई है फिर भी उपलब्ध सूचना के अनुसार, साम्प्रदायिक हिंसा सामान्यतः साम्प्रदायिक एवं समाज-विरोधी तत्वों की करतूत होती है जो साम्प्रदायिक शांति एवं सद्भाव में विघ्न डालने के लिए विभिन्न घटकों एवं घटनाओं से फायदा उठाते हैं।

(ङ) साम्प्रदायिक दंगों के फिर से घटित होने की स्थिति से बचने के लिए उपाय करने की जिम्मेदारी अनिवार्य रूप से सम्बद्ध राज्य सरकार/संघ शासित राज्य प्रशासन की है। तथापि, आसूचना का आदान-प्रदान तथा मांगे जाने पर अतिरिक्त बल उपलब्ध कराकर केन्द्र सरकार सभी सम्भवत सहायता राज्य सरकारों/संघ शासित राज्य प्रशासनों को देती है। साम्प्रदायिक घटनाओं को रोकने तथा साम्प्रदायिक सद्भाव को बढ़ाने के उपाय सुझाते हुए विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं।

University Entry Scheme of the Army

*93 DR. SANJAYA SINGH : Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Army propose to launch a University Entry Scheme to attract additional technical personnel into the service; and

(b) if so, what are the details thereof ?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI SHARAD PAWAR) : (a) and (b) Government have approved, in July 1992, a University Entry Scheme for induction of Engineering students in their Final Year/pre-Final Year, into the Army. The Scheme will be in operation, initially, for a period of three years.

Engineering students of various disciplines studying in the final/pre-final years in recognised Universities/Institutions will be eligible for induction into the Technical Arms/Services of the Army under this Scheme. Selected candidates will be granted Short Service Commission, on probation, and given stipends at the minimum basic pay of 2nd Lieutenants. This amount, however, will be paid in one lumpsum on their joining the Indian Military Academy, for training. On successful completion of training, they will be granted Permanent Commission in the Army. An intake of 100 officers per year has been planned under this Scheme.

सेना में राजस्थानी नवयुवकों का प्रतिनिधित्व

*94. **श्री शिवचरण सिंह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेना में इस समय कितने प्रतिशत सैन्यकर्मी राजस्थान के हैं;

(ख) क्या यह सच है कि सेना में राजस्थान के युवकों की भर्ती कम होती जा रही है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या सरकार सेना में राजस्थानी नवयुवकों की संख्या को विशेष भर्ती द्वारा बढ़ाने का विचार रखती है; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसा कब तक कर दिया जायेगा, और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) से (ग) सरकार सेना कार्मिकों के मूल निवास के बारे में राज्यवार आंकड़े नहीं रखती। पिछले पांच वर्ष के दौरान राजस्थान से सेना में भर्ती किए जाने वाले कार्मिकों की संख्या राज्य की भर्ती योग्य पुरुष जनसंख्या को देखते हुए राजस्थान की भागीदारी के अंश से 15 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक अधिक रही है।

(घ) और (ङ) चूंकि राजस्थान से पिछले पांच वर्ष के दौरान भर्ती किए गए सेना कार्मिकों की संख्या राज्य की भर्ती योग्य पुरुष जनसंख्या के आधार पर भर्ती किए जाने वाले कार्मिकों की संख्या से अधिक रही है अतः सरकार का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है कि राजस्थान से युवाओं की विशेष भर्ती की जाए।